

11.5.18 पत्रावली राजस्व लोक अदालत आभियान, न्याय
आपके दूर-2018 में अदालत सेवा के नुस्खे
पेश हुई। पत्रकारों उपस्थित हो मूल बात
कैसल हो चुका है इसलिये T.I. गांधी का
अभियोग आभियान नहीं रह गया है अतः मूल
बात के परिपेक्ष में T.I. गांधी पर भी कैसल
की गई। पत्रावली कैसल सुनार होकर
इस न्याय में जाते। आदेश न्याय के सामने
सुनाया गया।

रूपखण्ड अधिकारी
सांभरलेक